

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना
प्रभूदयाल बनाम संजय वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212

मु० न० 546 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.10.2024	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/ रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 22.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना</p> <p>22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।</p> <p>19/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थान P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/25 को पेश हो।</p> <p>27/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/6/25 को पेश हो।</p> <p>22/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थान P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/7/25 को पेश हो।</p> <p>22/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थान P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/8/25 को पेश हो।</p>	

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/10/25 को पेश हो।

9/10 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/25 को पेश हो।

23/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी अनुपस्थित। उक्तरण में सुनवाई हेतु बार-बार भावाज लगवायी गयी। बार-बार भावाज लगवाने के उपरान्त भी जर्जी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं भाया अतः जर्जी का अर्चना पत्र अदालत दायरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर धरिखल हो

